न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 979 सन 2020

अनवान :–

1. पुरखाराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. फुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. श्योनारायण पुत्र सुरजाराम जाति नायक नवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. प्रेमाराम पुत्र दौलाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. कानीदेवी पत्नी मेधाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. नीरू उर्फ मीरा पुत्री बेगराज जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. शान्ति उर्फ संतली पुत्री बेगराज जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. चौथा पत्नी काशीराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. राजुराम पुत्र दौलाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. चन्द्रो पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 118/72 की कुल 20.0133हैक व खाता संख्या 141/23 की कुल 17.1534हैक भूमि बर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके चार लडके काशीराम , सुरजाराम , दौलाराम , मेधाराम हुए जिनमें से काशीराम के देहान्त होने पर उसके वादी उसकी पत्नी चौथा एवं पुत्री चन्द्रो हुए एवं सुरजाराम के फोत होने पर उसके वारिसान उसके चार लडके पुरखाराम , फुलाराम, श्योनारायण , बेगराज हुए बेगराज के देहानत होने पर उसके दो लडकी नीरू व शान्ति हुई तथा दौलाराम के दो लडके प्रेमलाल व राजुराम हुए मेधाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस उसकी पत्नी कानी एवु पांच लउके गिरधारी , कृष्ण सुलतान मोहरसिह व मंगलाराम हुए जिनके नाम से भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 जो वादीगण के भाई काशीराम व बेगराज की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वज रावताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/चाचा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 118/72 की कुल 20.0133हैक व खाता संख्या 141/23 की कुल 17.1534हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके चार लडके काशीराम , सुरजाराम , दौलाराम , मेधाराम हुए जिनमें से काशीराम के देहान्त होने पर उसके वादी उसकी पत्नी चौथा एवं पुत्री चन्द्रो हुए एवं सुरजाराम के फोत होने पर उसके वारिसान उसके चार लडके पुरखाराम , फुलाराम, श्योनारायण , बेगराज हुए बेगराज के देहानत होने पर उसके दो लडकी नीरू व शान्ति हुई तथा दौलाराम के दो लडके प्रेमलाल व राजुराम हुए मेधाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस उसकी पत्नी कानी एवु पांच लउके गिरधारी , कृष्ण सुलतान मोहरसिह व मंगलाराम हुए जिनके नाम से भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 जो वादीगण के भाई काशीराम व बेगराज की पुत्री/पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात बादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 118/72 की कुल 20.0133हैक व खाता संख्या 141/23 की कुल 17.1534हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वज रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम का देहान्त हो चुका है जिसके चार लडके काशीराम , सुरजाराम , दौलाराम ,

उपखण्ड अधिकारी
लोहर

मेधाराम हुए जिनमें से काशीराम के देहान्त होने पर उसके वादी उसकी पत्नी चौथा एवं पुत्री चन्द्रो हुए एवं सुरजाराम के फोत होने पर उसके वारिसान उसके चार लडके पुरखाराम , फुलाराम, श्योनारायण , बेगराज हुए बेगराज के देहानत होने पर उसके दो लडकी नीरू व शान्ति हुई तथा दौलाराम के दो लडके प्रेमलाल व राजुराम हुए मेधाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस उसकी पत्नी कानी एवु पांच लउके गिरधारी , कृष्ण सुलतान मोहरसिह व मंगलाराम हुए जिनके नाम से भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 118/72 की कुल 22.0133हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 0.5912हैक व वादी संख्या 2 अकेला 0.5912हैक वादी संख्या 3 अकेला 0.5912हैक व वादी संख्या 4 अकेला 0.8712हैक एवं वाादी संख्या 5 अकेली 1/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.8412हैक का खातेदारी काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 141/23 की कुल 17.1534हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1.8423हैक वादी संख्या 2 अकेला 1.8423हैक वादी संख्या 3 अकेला 1.8423हैक व वादी संख्या 4 अकेला 2.7159हैक व वादी संख्या 5 अकेली 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 2.7159हैक का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पुरखाराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. फुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. श्योनारायण पुत्र सुरजाराम जाति नायक नवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. प्रेमाराम पुत्र दौलाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. कानीदेवी पत्नी मेधाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. नीरू उर्फ मीरा पुत्री बेगराज जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. शान्ति उर्फ संतली पुत्री बेगराज जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. चौथा पत्नी काशीराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. राजुराम पुत्र दौलाराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. चन्द्रो पुत्री काशीराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 979 सन 2020 निर्णय दिनांक– 18/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 118/72 की कुल 22.0133हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 0.5912हैक व वादी संख्या 2 अकेला 0.5912हैक वादी संख्या 3 अकेला 0.5912हैक व वादी संख्या 4 अकेला 0.8712हैक एवं वाादी संख्या 5 अकेली 1/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0. 8412हैक का खातेदारी काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 141/23 की कुल 17.1534हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1.8423हैक वादी संख्या 2 अकेला 1.8423हैक वादी संख्या 3 अकेला 1.8423हैक व वादी संख्या 4 अकेला 2. 7159हैक व वादी संख्या 5 अकेली 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 2.7159हैक का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर